

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 18/5/15

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण की योजना को पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं० 66 दिनांक 12.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 92 दिनांक 12.02.2014 द्वारा नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 56 में आर०सी०सी० नाला निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 126.28 लाख आवंटित किया गया था।

मुख्य अभियंता, बुडा, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख ₹० में)

क्र०	नगर निकायों का नाम	योजना का नाम	पूर्व में दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित राशि	पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम पटना	वार्ड नं० 56 अन्तर्गत आर०एम०आर० आई० अगम कुँआ ओभर ब्रीज से सैदपुर नहर तक आर०सी०सी० नाला एवं सम्प का निर्माण।	126.28000	143.67400	143.67400

- उक्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में आवंटित राशि से अतिरिक्त अवशेष राशि का व्यय नगर निगम अपने आंतरिक संसाधन से अर्जित राशि से करेगा।
- योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं० 66 दिनांक 12.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 92 दिनांक 12.02.2014 में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

18.5.15
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण की योजना को पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं० 66 दिनांक 12.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 92 दिनांक 12.02.2014 द्वारा नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 56 में आर०सी०सी० नाला निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 126.28 लाख आवंटित किया गया था।

मुख्य अभियंता, बुडा, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकायों का नाम	योजना का नाम	पूर्व में दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित राशि	पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम पटना	वार्ड नं० 56 अन्तर्गत आर०एम०आर० आई० अगम कुँआ ओभर ब्रीज से सैदपुर नहर तक आर०सी०सी० नाला एवं सम्प का निर्माण।	126.28000	143.67400	143.67400

2. उक्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में आवंटित राशि से अतिरिक्त अवशेष राशि का व्यय नगर निगम अपने आंतरिक संसाधन से अर्जित राशि से करेगा।

3. योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं० 66 दिनांक 12.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 92 दिनांक 12.02.2014 में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक-2ब०/ ना०नि० 02-01/2014

25/4

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 18/5/15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा), नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव